हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.09/2022	नम्बर व तारीख जो इस [illegible] की तामिल में जारी हुए
31.3.2022	पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (एक) दिपेश कुमार चौधरी पुत्र कालुराम चौधरी, जाति– चौधरी, निवासी– अग्रसेन चौक, भारजा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म लक्ष्मी किराणा स्टोर, अग्रसेन चौक, भारजा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–2 (दो) मितल पत्नि मनीष कुमार अग्रवाल, निवासी– माताजी की गली, बरलुट, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, सप्लायर फर्म, अग्रसेन मार्केटिंग, सारणेश्वर कॉलोनी, गोयली, तहसील व जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 24.3.2021 को फर्म लक्ष्मी किराणा स्टोर, भारजा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (धेनुश्री ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1381 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./236/Act/2021/334 दिनांक 06.4.2021 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान नियत दिनांक 22.3.2022 को प्रतिवादी संख्या–1 (एक) दिपेश कुमार चौधरी पुत्र कालुराम चौधरी, जाति– चौधरी, निवासी– अग्रसेन चौक, भारजा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म लक्ष्मी किराणा स्टोर, अग्रसेन चौक, भारजा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही की ओर से उसके पिता कुलराम जी चौधरी एवं प्रतिवादी संख्या–2 (दो) मितल पत्नि मनीष कुमार अग्रवाल, निवासी– माताजी की गली, बरलुट, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, सप्लायर फर्म, अग्रसेन मार्केटिंग, सारणेश्वर कॉलोनी, गोयली, तहसील व जिला– सिरोही ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर संयुक्त रुप से लिखित जवाब [illegible] किया। [illegible] अंकित किया है कि दिनांक 24.3.2021 को खाद्य सुर[illegible] अधि[illegible] श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा जिस[illegible] ब्राण्ड की [illegible] जांच हेतु लिया था जो जांच रिपोर्ट के अनुसार [illegible]ड पाया गया है। नमूना पैक धेनूश्री ब्राण्ड घी में से दिया [illegible] जिसका बिल .....लगातार	

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:06 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.09/2022	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

मैनें अग्रसेन मार्केटिंग सारणेश्वर कॉलोनी गोयली का नमूना लेते समय प्रस्तुत कर दिया था। मैनें घी में कुछ नही मिलाया है। मैं छोटा दुकानदार हूँ, इसलिये मुझे इस मुकदमें से मुक्त किया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 22.3.2022 को उक्तानुसार जवाब प्रस्तुत कर लिये जाने से दिनांक 22.3.2022 को ही प्रतिवादी संख्या–1 (एक) के पिता व प्रतिवादी संख्या– 2 (दो) को सुना गया। प्रतिवादी संख्या–1 के पिता कालुराम जी चौधरी ने अनुरोध किया कि उसका पुत्र जोधपुर पढने के कारण बाहर है, इसलिये उसकी जगह मैं उपस्थित हुआ। मेरी फर्म लक्ष्मी किराणा स्टोर द्वारा पैकिंग घी को जरिये बिल क्रय कर पैकिंग अवस्था में ही विक्रय किया है। प्रतिवादी संख्या–2 ने भी बहस में अनुरोध कि उसकी फर्म अग्रसेन मार्केटिंग द्वारा पैकिंग अवस्था में ही घी (धेनुश्री ब्राण्ड) को क्रय कर पैकिंग अवस्था में ही विक्रय किया है, इसलिये प्रकरण में कम से कम जुर्माना करके प्रकरण का निस्तारण करावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 24.3.2021 को सायं 3.15 पी.एम. पर फर्म लक्ष्मी किराणा स्टोर, अग्रसेन चौक, भारजा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से दिपेश कुमार चौधरी पुत्र श्री कालुराम चौधरी, जाति– चौधरी, निवासी– अग्रसेन चौक, भारजा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही उपस्थित मिले। जो आम जनता को खाद्य पदार्थ घी (धेनुश्री ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ घी (धेनुश्री ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता दिपेश कुमार चौधरी को भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। दुकान में अलमारी की रैक में बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ घी (धेनुश्री ब्राण्ड) के 11 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक एक लीटर) में से घी (धेनुश्री ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक एक लीटर) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु क्रय किये एवं उसकी कीमत राशि रुपये 1480/– (रुपये एक हजार चार सौ अस्सी मात्र) विक्रेता दिपेश कुमार चौधरी [illegible] अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अंकित [illegible] मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही [illegible] एवं क्रमांक S-1381,

........लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:06 IST
Reason: SelfAttested

अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.09/2022	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ घी (धेनुश्री ब्राण्ड) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खरीदशुदा घी (धेनुश्री ब्राण्ड) के चारों नमूना पैकेटों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना जारों को अलग–अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 25.3.2021 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा भावना देवी, वार्ड बॉय, कार्यलय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 24.3.2021 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म लक्ष्मी किराणा स्टोर, अग्रसेन चौक, भारजा, तह. पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता दिपेश कुमार चौधरी से खाद्य पदार्थ घी (धेनुश्री ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ घी (धेनुश्री ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1381 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक: L.S./236/A[illegible] के अनुसार खाद्य पदार्थ घी (धेनुश्री ब्राण्ड) क[illegible] म्याछाप (Misbranded) पाया गया। [illegible] के अवलोकन से यह भी स्प[illegible] कुमार चौधरी की फर्म लक्ष्मी किराणा स्टोर, अग्रसेन चौक, भारजा द्वारा खाद्य पदार्थ घी (धेनुश्री ब्राण्ड) के एक–एक [illegible]र के पैक्ड पैकेटों को फर्म

......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:06 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.09/2022	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

अग्रसेन मार्केटिंग, सारणेश्वर कॉलोनी, गोयली, तहसील व जिला– सिरोही से बिल/टेक्स इनवोइस नम्बर 721 दिनांक 24.3.2021 के द्वारा क्रय किया गया था जो प्रतिवादी संख्या–2 की फर्म है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या–2 ने प्रकरण की अनुसंधान के दौरान आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य पदार्थ घी (धेनुश्री ब्राण्ड) के खरीद के संबंध में बिल प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ घी (धेनुश्री ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ घी (धेनुश्री ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी दिपेश कुमार चौधरी पुत्र श्री कालुराम चौधरी, जाति– चौधरी, निवासी– अग्रसेन चौक, भारजा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म लक्ष्मी किराणा स्टोर, अग्रसेन चौक, भारजा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 3,000/– (अक्षरे रुपये तीन हजार मात्र) का जुर्माना एवं प्रतिवादी मितल पत्नि श्री मनीष कुमार अग्रवाल, निवासी– माताजी की गली, बरलुट, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबाकर्ता एवं मालिक, फर्म अग्रसेन मार्केटिंग, सारणेश्वर कॉलोनी, गोयली, तहसील व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 15,000/– (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादीगण दिपेश कुमार चौधरी व मितल को आदेशित किया जाता है कि उन पर आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति आवेदक खाद्य [illegible] अधिकारी एवं प्रतिवादीगण को प्रेषित की जावे। [illegible] जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. [illegible] दिनांक [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:06 IST
Reason: SelfAttested

(के.आर.खौड)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही